अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर की जिला स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की 04/2022 वीं बैठक दिनांक 31.03.2022 का बैठक कार्यवाही विवरण :–

भू–उपयोग परिवर्तन समिति की 4/2022 वीं बैठक दिनांक 31.03.2022 को आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दोपहर 3.00 बजे आयोजित की गयी। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगणों व अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया :–

1. सचिव, श्री किशोर कुमार, अजमेर विकास प्राधिकरण
2. उपायुक्त उत्तर, श्री अशोक चौधरी, अजमेर विकास प्राधिकरण
3. निदेशक आयोजना, श्री पी.आर बेनीवाल, अजमेर विकास प्राधिकरण
4. निदेशक विधि, श्री अनिल गुप्ता, अजमेर विकास प्राधिकरण
5. सहायक नगर नियोजक, श्रीमती प्रियंका, अजमेर विकास प्राधिकरण

सदस्य सचिव द्वारा समस्त सदस्यों को बैठक के एजेण्डा की प्रतियां उपलब्ध करवायी गयी। बैठक में अजमेर विकास प्राधिकरण को प्राप्त पत्रावलियों से संबंधित 19 एजेण्डा बिन्दुओं पर चर्चा कर समिति द्वारा निर्णय लिया गया जो कि निम्न प्रकार से है –

एजेण्डा संख्या : 1 अविप्रा की आवासीय योजनाओं मे भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरण।

प्रायः यह देखा गया है कि अजमेर विकास प्राधिकरण में प्रार्थीगण द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों में मिश्रित भू–उपयोग के साथ–साथ डी.सी.आर. अनुसार आवासीय योजनाओ की मुख्य सड़कों पर भी व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु पत्रावलियॉ आवेदित की जा रही है ।

अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई कॉलानियों में नियोजन के अनुसार भू–उपयोग आवासीय एवं व्यावसायिक रखा गया है। अजमेर विकास प्राधिकरण की काटी गई कॉलोनी में ज्यादातर सड़को की चौडाई 60 से 100 फुट जनता की सुविधा के लिये रखी गई है। डी.सी.आर के अन्तर्गत लोग भू–उपयोग परिवर्तन कराने के लिये अपनी पत्रालियॉ लगाते है। जब भी आवासीय कॉलोनियों में लोग भू–उपयोग परिवर्तन हेतु पत्रावलियॉ लगाते है तो वहां रहने वाले लोग आपत्तियॉ उठाते है कि उन्होने यह मकान आवासीय कॉलोनी के हिसाब से शान्ति से रहने के लिये खरीदा है, जबकि कॉलोनी मे व्यावसायिक गतिविधियां शुरू होते ही कॉलोनी का न केवल स्वरूप बदल जाता है वरन् वहां रहने वाले आमजन की शान्ति एवं सुरक्षा भी प्रभावित होती है और इस तरीके से भू–उपयोग परिवर्तन नही करने के लिये लोग अविप्रा में अपनी आपत्तियॉ दर्ज कराते रहते है। अतः जहां केवल आवासीय भू–उपयोग है वहां पर डी.सी.आर के अनुसार भू–उपयोग परिवर्तन व्यावसायिक करना उचित नही प्रतीत होता है।

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर

अजमेर विकास प्राधिकरण की योजनाओं में आवासीय भूखण्ड अपने रहवासीय उद्वेश्य से खरीदते हैं। जहां भूमि का मास्टर प्लान में भू–उपयोग मिश्रित दर्शाया गया है वहां तक तो नियमानुसार आवेदक द्वारा चाहा गया भू–उपयोग परिवर्तन करना उचित है।

माननीय उच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में पारित गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार के निर्णय मे भी यह स्पष्ट रूप से कहा है कि मास्टर प्लान में वर्णित भू–उपयोग से अलग परिवर्तन किसी भी हालत में नही किया जावें। कॉलोनियों का मूल स्वरूप बनाया रखा जावें। कॉलोनियों के मूल स्वरूप में छेडछाड़ किसी भी प्रकार से नही की जावें।

इस प्रकार प्रकरण प्राधिकरण की कमेटी के समक्ष निम्न बिन्दुओं पर विचार करने हेतु प्रस्तुत किया गयाः–

i. जहां मास्टर प्लान/जोनल प्लान में भू–उपयोग मिश्रित दर्शाया गया है वहां पर नियमानुसार भू–उपयोग परिवर्तन कर दिया जावें।

ii. जहां पर मास्टर प्लान/जोनल प्लान में भू–उपयोग आवासीय दर्शाया गया है एवं डी.सी.आर. के तहत भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है तथा मौके की स्थिति का आंकलन करते हुए मास्टर प्लान/जोनल प्लान में विधिवत् कार्यवाही अपनाते हुए समायोजित करने के पश्चात् ही नियमानुसार भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की जाये।

iii. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी विभिन्न दिशा निर्देशों के क्रम में यदि इस आदेश के विरोधाभाष होता है तो स्वतः ही इस निर्णय को अतिक्रमित करते हुये राज्य सरकार के निर्देश लागू होगे।

यह भी उल्लेखनीय है कि आज की बैठक में आवासीय योजना में डी.सी.आर. के तहत भू–उपयोग परिवर्तन का कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है।

निर्णय :– समिति द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विस्तृत चर्चा की गई। बाद चर्चा सर्वसम्मति से उपरोक्त तीनों बिन्दुओं को अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया, साथ ही निदेशक आयोजना को निर्देशित किया गया कि उक्त निर्णयानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जावे।

एजेण्डा संख्या : 2

1	आवेदक का नाम	**श्रीमती आनन्द कंवर पुत्री श्री दान सिंह राठौड़**
2	राजस्व ग्राम/योजना	थोक तेलियान
3	खसरा/भूखण्ड संख्या	खसरा संख्या 394 भूखण्ड संख्या– B-26
4	क्षेत्रफल	195.65 वर्गमीटर

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर

5	भूखण्ड की गहराई	16.45 मीटर
6	स्वीकृत भू–उपयोग	आवासीय
7	चाहा गया भू–उपयोग	सामान्य व्यावसायिक
8	मास्टर/जोनल प्लान के अनुसार भू–उपयोग	मिश्रित (जोनल प्लान जोन–2 के अनुसार)
9	सड़क की चौड़ाई	36 मीटर (120 फीट)
10	विज्ञप्ति प्रकाशन	आवेदक द्वारा 2 राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 05.12.2021 को विज्ञप्ति प्रकाशन करवाई गयी तथा पत्रावली अनुसार निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।
11	स्वामित्व रिपोर्ट	प्राधिकरण द्वारा आवासीय पट्टा क्रमांक 2034 दिनांक 23.03.2011 को जारी है तथा आवेदक के पक्ष में नामान्तरण आदेश क्रमांक 411 दिनांक 20.07.2011 को जारी है।
12	मौका रिपोर्ट	मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड रिक्त है।
13	विधि शाखा की रिपोर्ट	विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड पर कोई वाद लम्बित नहीं है।
अन्य विचारनीय बिन्दु		1. मास्टर/जोनल प्लान के प्रावधान अनुसार मिश्रित भू–उपयोग में आवासीय, व्यवसायिक, संस्थागत आदि गतिविधियां अनुज्ञेय की गयी हैं। 2. मौके पर भूखण्ड रिक्त है अतः नियमानुसार देय शुल्क लिया जाना प्रस्तावित है।

निर्णय :– समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का आवासीय से सामान्य व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन निम्नलिखित शर्तों पर अनुज्ञेय किया गया :

1. **प्रश्नगत भूमि के सामने स्थित सड़क के मार्गाधिकार हेतु सड़क के मध्य से 18 मीटर (60 फीट) भूमि सड़क हेतु छोड़ते हुए शेष भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन अनुमत किया जावेगा।**

2. **यह केवल मात्र आवेदित भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति है, इस स्वीकृति को आवेदित भूमि के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जावेगा।**

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

3. प्रश्नगत भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण से पूर्व भवन विनियम 2020 अजमेर रीजन में निर्धारित मानदण्डों अनुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।

एजेण्डा संख्या : 3

1	आवेदक का नाम	श्री रितेश चावला पुत्र स्व. श्री बिहारी लाल चावला
2	राजस्व ग्राम/योजना	माकड़वाली
3	खसरा/भूखण्ड संख्या	खसरा संख्या 448 भूखण्ड संख्या–4 & 9
4	क्षेत्रफल	408.77 वर्गमीटर
5	भूखण्ड की गहराई	33.5 मीटर
6	स्वीकृत भू–उपयोग	आवासीय
7	चाहा गया भू–उपयोग	सामान्य व्यावसायिक
8	मास्टर/जोनल प्लान के अनुसार भू–उपयोग	मिश्रित (जोनल प्लान जोन–2 के अनुसार)
9	सड़क की चौड़ाई	36 मीटर (120 फीट)
10	विज्ञप्ति प्रकाशन	आवेदक द्वारा 2 राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 21.01.2022 को विज्ञप्ति प्रकाशन करवाई गयी तथा पत्रावली अनुसार निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।
11	स्वामित्व रिपोर्ट	प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड संख्या 4 का आवासीय पट्टा क्रमांक 5241 दिनांक 13.01.2004 को जारी है तथा आवेदक के पक्ष में नामान्तरण आदेश क्रमांक 342 दिनांक 02.06.2015 को जारी है। भूखण्ड संख्या 9 का आवासीय पट्टा दिनांक 28.03.2004 को जारी है तथा आवेदक के पक्ष में नामान्तरण आदेश क्रमांक 641 दिनांक 24.07.2015 को जारी है। प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड संख्या 4 व 9 का संयुक्तिकरण कर कुल क्षेत्रफल 533.33 व.ग दिनांक 09.07.2014 को स्वीकृत हैं।
12	मौका रिपोर्ट	मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड रिक्त है।
13	विधि शाखा की रिपोर्ट	विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड पर कोई वाद लम्बित नहीं है।
अन्य विचारनीय बिन्दु		1. मास्टर/जोनल प्लान के प्रावधान अनुसार मिश्रित भू–उपयोग में आवासीय,

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

	व्यवसायिक, संस्थागत आदि गतिविधियां अनुज्ञेय की गयी हैं। 2. मौके पर भूखण्ड रिक्त है अतः नियमानुसार देय शुल्क लिया जाना प्रस्तावित है।

निर्णय :— समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का आवासीय से सामान्य व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन निम्नलिखित शर्तों पर अनुज्ञेय किया गया :

1. **प्रश्नगत भूमि के सामने स्थित सड़क के मार्गाधिकार हेतु सड़क के मध्य से 18 मीटर (60 फीट) भूमि सड़क हेतु छोड़ते हुए शेष भूमि का भू—उपयोग परिवर्तन अनुमत किया जावेगा।**
2. **यह केवल मात्र आवेदित भूमि के भू—उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति है, इस स्वीकृति को आवेदित भूमि के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जावेगा।**
3. **प्रश्नगत भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण से पूर्व भवन विनियम 2020 अजमेर रीजन में निर्धारित मानदण्डों अनुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।**

एजेण्डा संख्या : 4

1	आवेदक का नाम	**श्रीमती लीला देवी जैन पत्नी श्री सुशील कुमार जैन**
2	राजस्व ग्राम / योजना	लोहागल
3	खसरा / भूखण्ड संख्या	खसरा संख्या—818 से 824 भूखण्ड संख्या—11
4	क्षेत्रफल	272.22 वर्गगज
5	भूखण्ड की गहराई	21.33 मीटर
6	स्वीकृत भू—उपयोग	आवासीय
7	चाहा गया भू—उपयोग	सामान्य व्यावसायिक
8	मास्टर / जोनल प्लान के अनुसार भू—उपयोग	मिश्रित (जोनल प्लान जोन—2 के अनुसार)
9	सड़क की चौड़ाई	24 मीटर (80 फुट)
10	विज्ञप्ति प्रकाशन	आवेदक द्वारा 2 राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 08.03.2022 को विज्ञप्ति प्रकाशन करवाई गयी तथा पत्रावली अनुसार निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

		है।
11	स्वामित्व रिपोर्ट	प्राधिकरण द्वारा आवासीय पट्टा क्रमांक 1818 दिनांक 31.01.2003 को जारी है तथा आवेदक के पक्ष में नामान्तरण आदेश क्रमांक 1582 दिनांक 04.01.2022 को जारी है।
12	मौका रिपोर्ट	मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड रिक्त है।
13	विधि शाखा की रिपोर्ट	विधि शाखा की रिपोर्ट पत्रावली के पैरा 10/एन पर अवलोकनीय हैं।
अन्य विचारनीय बिन्दु		1. मास्टर/जोनल प्लान के प्रावधान अनुसार मिश्रित भू–उपयोग में आवासीय, व्यवसायिक, संस्थागत आदि गतिविधियां अनुज्ञेय की गयी हैं। 2. मौके पर भूखण्ड रिक्त है अतः नियमानुसार देय शुल्क लिया जाना प्रस्तावित है।

निर्णय :– समिति द्वारा प्रकरण में विधि शाखा द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत खसरो पर रिकवरी से संबंधित वाद होने से नियमन शाखा से रिपोर्ट प्राप्त किये जाने उपरान्त विधि शाखा से परिक्षण उपरान्त सम्पूर्ण जाँच कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या : 5

1	आवेदक का नाम	**श्रीमती लीला देवी जैन पत्नी श्री सुशील कुमार जैन**
2	राजस्व ग्राम/योजना	लोहागल
3	खसरा/भूखण्ड संख्या	खसरा संख्या–818 से 824 भूखण्ड संख्या–10
4	क्षेत्रफल	272.22 वर्गगज
5	भूखण्ड की गहराई	21.33 मीटर
6	स्वीकृत भू–उपयोग	आवासीय
7	चाहा गया भू–उपयोग	सामान्य व्यावसायिक
8	मास्टर/जोनल प्लान के अनुसार भू–उपयोग	मिश्रित (जोनल प्लान जोन–2 के अनुसार)
9	सड़क की चौड़ाई	24 मीटर (80 फुट)
10	विज्ञप्ति प्रकाशन	आवेदक द्वारा 2 राज्य स्तरीय दैनिक समाचार

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

		पत्रों में दिनांक 08.03.2022 को विज्ञप्ति प्रकाशन करवाई गयी तथा पत्रावली अनुसार निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।
11	स्वामित्व रिपोर्ट	प्राधिकरण द्वारा आवासीय पट्टा क्रमांक 4410 दिनांक 24.03.2003 को जारी है तथा आवेदक के पक्ष में नामान्तरण आदेश क्रमांक 2170 दिनांक 08.03.2022 को जारी है।
12	मौका रिपोर्ट	मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड पर भवन निर्मित है।
13	विधि शाखा की रिपोर्ट	विधि शाखा की रिपोर्ट पत्रावली के पैरा 10/एन पर अवलोकनीय हैं।
अन्य विचारनीय बिन्दु		1. मास्टर/जोनल प्लान के प्रावधान अनुसार मिश्रित भू–उपयोग में आवासीय, व्यवसायिक, संस्थागत आदि गतिविधियां अनुज्ञेय की गयी हैं। 2. प्रार्थी द्वारा भवन निर्माण के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत कर अनाधिकृत निर्माण हटा लेने एवं प्राधिकरण द्वारा भवन मानचित्र स्वीकृत करवाए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

निर्णय :– समिति द्वारा प्रकरण में विधि शाखा द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत खसरो पर रिकवरी से संबंधित वाद होने से नियमन शाखा से रिपोर्ट प्राप्त किये जाने उपरान्त विधि शाखा से परिक्षण उपरान्त सम्पूर्ण जाँच कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या : 6

1	आवेदक का नाम	**1. श्री गौरव केसवानी पुत्र श्री भरत केसवानी 2. श्री अजयवर्धन सिंह शेखावत पुत्र श्री अजीत सिंह शेखावत**
2	राजस्व ग्राम/योजना	बी.के. कौल नगर
3	खसरा/भूखण्ड संख्या	भूखण्ड संख्या 947
4	क्षेत्रफल	90 वर्गमीटर
5	भूखण्ड की गहराई	15 मीटर

F:\E\Deepak devnani\LP 2021-22\land use change\2022\CILU-4\Agenda CILU 04-2022 nirnay.doc

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर

6	स्वीकृत भू–उपयोग	आवासीय
7	चाहा गया भू–उपयोग	सामान्य व्यावसायिक
8	मास्टर/जोनल प्लान के अनुसार भू–उपयोग	मिश्रित (जोनल प्लान जोन–1 के अनुसार)
9	सड़क की चौड़ाई	36 मीटर (120 फीट)
10	विज्ञप्ति प्रकाशन	आवेदक द्वारा 2 राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 06.03.2022 को विज्ञप्ति प्रकाशन करवाई गयी तथा पत्रावली अनुसार निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।
11	स्वामित्व रिपोर्ट	प्राधिकरण द्वारा आवासीय पट्टा क्रमांक 8387 दिनांक 24.06.2003 को जारी है तथा आवेदक के पक्ष में नामान्तरण आदेश क्रमांक 24790–93 दिनांक 27.02.2018 को जारी है।
12	मौका रिपोर्ट	मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड रिक्त है।
13	विधि शाखा की रिपोर्ट	विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड पर कोई वाद लम्बित नहीं है।
अन्य विचारनीय बिन्दु		1. मास्टर/जोनल प्लान के प्रावधान अनुसार मिश्रित भू–उपयोग में आवासीय, व्यवसायिक, संस्थागत आदि गतिविधियां अनुज्ञेय की गयी हैं। 2. मौके पर भूखण्ड रिक्त है अतः नियमानुसार देय शुल्क लिया जाना प्रस्तावित है।

निर्णय :– समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का आवासीय से सामान्य व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन निम्नलिखित शर्तो पर अनुज्ञेय किया गया :

1. **प्रश्नगत भूमि के सामने स्थित सड़क के मार्गाधिकार हेतु सड़क के मध्य से 18 मीटर (60 फीट) भूमि सड़क हेतु छोड़ते हुए शेष भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन अनुमत किया जावेगा।**

2. **यह केवल मात्र आवेदित भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति है, इस स्वीकृति को आवेदित भूमि के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जावेगा।**

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

3. प्रश्नगत भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण से पूर्व भवन विनियम 2020 अजमेर रीजन में निर्धारित मानदण्डों अनुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।

एजेण्डा संख्या : 7

1	आवेदक का नाम	**श्री लक्ष्मीकान्त मुंदड़ा पुत्र श्री चम्पा लालमुंदड़ा**
2	राजस्व ग्राम/योजना	हरिभाऊ उपाध्याय नगर मुख्य
3	खसरा/भूखण्ड संख्या	भूखण्ड संख्या बी–185–बी(ए)
4	क्षेत्रफल	84 वर्गमीटर
5	भूखण्ड की गहराई	14 मीटर
6	स्वीकृत भू–उपयोग	आवासीय
7	चाहा गया भू–उपयोग	सामान्य व्यावसायिक
8	मास्टर/जोनल प्लान के अनुसार भू–उपयोग	मिश्रित (जोनल प्लान जोन–1 के अनुसार)
9	सड़क की चौड़ाई	36 मीटर (120 फीट)
10	विज्ञप्ति प्रकाशन	आवेदक द्वारा 2 राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 14.01.2022 को विज्ञप्ति प्रकाशन करवाई गयी तथा पत्रावली अनुसार निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।
11	स्वामित्व रिपोर्ट	प्राधिकरण द्वारा आवासीय पट्टा क्रमांक 16788 दिनांक 31.12.2013 को जारी है तथा आवेदक के पक्ष में नामान्तरण आदेश क्रमांक 1473 दिनांक 17.12.2021 को जारी है।
12	मौका रिपोर्ट	मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड रिक्त है।
13	विधि शाखा की रिपोर्ट	विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड पर कोई वाद लम्बित नहीं है।
अन्य विचारनीय बिन्दु		1. मास्टर/जोनल प्लान के प्रावधान अनुसार मिश्रित भू–उपयोग में आवासीय, व्यवसायिक, संस्थागत आदि गतिविधियां अनुज्ञेय की गयी हैं। 2. मौके पर भूखण्ड रिक्त है अतः नियमानुसार देय शुल्क लिया जाना प्रस्तावित है।

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर

निर्णय :– समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का आवासीय से सामान्य व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन निम्नलिखित शर्तों पर अनुज्ञेय किया गया :

1. प्रश्नगत भूमि के सामने स्थित सड़क के मार्गाधिकार हेतु सड़क के मध्य से 18 मीटर (60 फीट) भूमि सड़क हेतु छोड़ते हुए शेष भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन अनुमत किया जावेगा।
2. यह केवल मात्र आवेदित भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति है, इस स्वीकृति को आवेदित भूमि के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जावेगा।
3. प्रश्नगत भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण से पूर्व भवन विनियम 2020 अजमेर रीजन में निर्धारित मानदण्डों अनुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।

एजेण्डा संख्या : 8

1	आवेदक का नाम	**श्री महेश मनवानी पुत्र श्री महादेव मनवानी**
2	राजस्व ग्राम / योजना	हरिभाऊ उपाध्याय नगर मुख्य
3	खसरा / भूखण्ड संख्या	भूखण्ड संख्या बी–185–बी(बी)
4	क्षेत्रफल	42 वर्गमीटर
5	भूखण्ड की गहराई	14 मीटर
6	स्वीकृत भू–उपयोग	आवासीय
7	चाहा गया भू–उपयोग	सामान्य व्यावसायिक
8	मास्टर / जोनल प्लान के अनुसार भू–उपयोग	मिश्रित (जोनल प्लान जोन–1 के अनुसार)
9	सड़क की चौड़ाई	36 मीटर (120 फीट)
10	विज्ञप्ति प्रकाशन	आवेदक द्वारा 2 राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 14.01.2022 को विज्ञप्ति प्रकाशन करवाई गयी तथा पत्रावली अनुसार निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।
11	स्वामित्व रिपोर्ट	प्राधिकरण द्वारा आवासीय पट्टा क्रमांक 16788 दिनांक 31.12.2013 को जारी है तथा आवेदक के पक्ष में नामान्तरण आदेश क्रमांक 1474 दिनांक 17.12.2021 को जारी है।
12	मौका रिपोर्ट	मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड रिक्त है।
13	विधि शाखा की रिपोर्ट	विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड पर कोई वाद लम्बित नहीं है।

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

अन्य विचारनीय बिन्दु	1. मास्टर/जोनल प्लान के प्रावधान अनुसार मिश्रित भू–उपयोग में आवासीय, व्यवसायिक, संस्थागत आदि गतिविधियां अनुज्ञेय की गयी हैं। 2. मौके पर भूखण्ड रिक्त है अतः नियमानुसार देय शुल्क लिया जाना प्रस्तावित है।

निर्णय :– समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का आवासीय से सामान्य व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन निम्नलिखित शर्तों पर अनुज्ञेय किया गया :

1. **प्रश्नगत भूमि के सामने स्थित सड़क के मार्गाधिकार हेतु सड़क के मध्य से 18 मीटर (60 फीट) भूमि सड़क हेतु छोड़ते हुए शेष भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन अनुमत किया जावेगा।**
2. **यह केवल मात्र आवेदित भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति है, इस स्वीकृति को आवेदित भूमि के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जावेगा।**
3. **प्रश्नगत भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण से पूर्व भवन विनियम 2020 अजमेर रीजन में निर्धारित मानदण्डों अनुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।**

एजेण्डा संख्या : 9

1	आवेदक का नाम व पता	**श्री जितेंन्द्र कुमार चौधरी पुत्र स्व. श्री बी.आर. चौधरी**
2	राजस्व ग्राम/योजना	चौरसियावास
3	खसरा/भूखण्ड संख्या	खसरा संख्या 1657, 1632
4	क्षेत्रफल	137 वर्गगज
5	भूखण्ड की गहराई	10.97 मीटर
6	स्वीकृत भू–उपयोग	आवासीय
7	चाहा गया भू–उपयोग	सामान्य व्यावसायिक
8	मास्टर/जोनल प्लान के अनुसार भू–उपयोग	मिश्रित (जोनल प्लान जोन–2 के अनुसार)
9	सड़क की चौड़ाई	30 मीटर (100 फुट)
10	विज्ञप्ति प्रकाशन	आवेदक द्वारा 2 राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 25.01.2022 को विज्ञप्ति प्रकाशन करवाई गयी तथा पत्रावली अनुसार निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर

		है।
11	स्वामित्व रिपोर्ट	प्राधिकरण द्वारा आवासीय पट्टा क्रमांक 2693 दिनांक 18.04.2002 को जारी है।
12	मौका रिपोर्ट	मौका रिपोर्ट निम्नानुसार है:— 1. मौके पर प्रार्थी द्वारा मदिरा/शराब की दुकान का निर्माण कर व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। 2. मौके पर टिन शैड लगाकर आगे पक्का दुकान का निर्माण किया हुआ है।
13	विधि शाखा की रिपोर्ट	विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड पर कोई वाद लम्बित नहीं है।
अन्य विचारनीय बिन्दु		1. मास्टर/जोनल प्लान के प्रावधान अनुसार मिश्रित भू—उपयोग में आवासीय, व्यवसायिक, संस्थागत आदि गतिविधियां अनुज्ञेय की गयी हैं। 2. प्रार्थी द्वारा भवन निर्माण के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत कर अनाधिकृत निर्माण हटा लेने एवं प्राधिकरण द्वारा भवन मानचित्र स्वीकृत करवाए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

निर्णय :— समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का आवासीय से सामान्य व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू—उपयोग परिवर्तन निम्नलिखित शर्तों पर अनुज्ञेय किया गया :

1. **प्रश्नगत भूमि के सामने स्थित सड़क के मार्गाधिकार हेतु सड़क के मध्य से 15 मीटर (50 फीट) भूमि सड़क हेतु छोड़ते हुए शेष भूमि का भू—उपयोग परिवर्तन अनुमत किया जावेगा।**

2. **यह केवल मात्र आवेदित भूमि के भू—उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति है, इस स्वीकृति को आवेदित भूमि के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जावेगा।**

3. **प्रश्नगत भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण से पूर्व भवन विनियम 2020 अजमेर रीजन में निर्धारित मानदण्डों अनुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।**

4. **प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अनाधिकृत निर्माण हटा लिया जायेगा। उक्त अनाधिकृत निर्माण हटाये जाने की शर्त पर यह अनुमति दी जाती है।**

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

एजेण्डा संख्या : 10

1	आवेदक का नाम	श्री महेन्द्र साहु पुत्र स्व. श्री सोहन लाल साहु
2	राजस्व ग्राम/योजना	बोराज
3	खसरा/भूखण्ड संख्या	खसरा संख्या 119 भूखण्ड संख्या–ए
4	क्षेत्रफल	250.83 वर्गमीटर
5	भूखण्ड की गहराई	27 मीटर
6	स्वीकृत भू–उपयोग	आवासीय
7	चाहा गया भू–उपयोग	सामान्य व्यावसायिक
8	मास्टर/जोनल प्लान के अनुसार भू–उपयोग	मिश्रित (जोनल प्लान जोन–1 के अनुसार)
9	सड़क की चौड़ाई	36 मीटर (120 फीट)
10	विज्ञप्ति प्रकाशन	आवेदक द्वारा 2 राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 15.02.2022 को विज्ञप्ति प्रकाशन करवाई गयी तथा पत्रावली अनुसार निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।
11	स्वामित्व रिपोर्ट	प्राधिकरण द्वारा आवासीय पट्टा क्रमांक 4384 दिनांक 04.03.2014 को जारी है तथा भूखण्ड संख्या ए, बी, सी का उपविभाजन कर भूखण्ड संख्या ए–क्षेत्रफल 250.83 वर्गमीटर दिनांक 02.12.2021 को स्वीकृत है। आवेदक के पक्ष में नामान्तरण आदेश क्रमांक 1531 दिनांक 04.01.2022 को जारी है।
12	मौका रिपोर्ट	मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड पर चार दीवारी निर्मित हैं व भूखण्ड रिक्त हैं।
13	विधि शाखा की रिपोर्ट	विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड पर कोई वाद लम्बित नहीं है।
अन्य विचारनीय बिन्दु		1. मास्टर/जोनल प्लान के प्रावधान अनुसार मिश्रित भू–उपयोग में आवासीय, व्यवसायिक, संस्थागत आदि गतिविधियां अनुज्ञेय की गयी हैं। 2. मौके पर भूखण्ड रिक्त है अतः नियमानुसार देय शुल्क लिया जाना प्रस्तावित है।

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर

निर्णय :– समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का आवासीय से सामान्य व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन निम्नलिखित शर्तों पर अनुज्ञेय किया गया :

1. प्रश्नगत भूमि के सामने स्थित सड़क के मार्गाधिकार हेतु सड़क के मध्य से 18 मीटर (60 फीट) भूमि सड़क हेतु छोड़ते हुए शेष भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन अनुमत किया जावेगा।
2. यह केवल मात्र आवेदित भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति है, इस स्वीकृति को आवेदित भूमि के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जावेगा।
3. प्रश्नगत भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण से पूर्व भवन विनियम 2020 अजमेर रीजन में निर्धारित मानदण्डों अनुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।

एजेण्डा संख्या : 11

1	आवेदक का नाम	1. श्री देवकरण फुलवारी पुत्र श्री मधु लाल फुलवारी, 2. श्री मनोहर फुलवारी पुत्र श्री मधु लाल फुलवारी, 3. श्री महेश फुलवारी पुत्र श्री मधु लाल फुलवारी
2	राजस्व ग्राम/योजना	थोक मालियान
3	खसरा/भूखण्ड संख्या	खसरा संख्या 5782 भूखण्ड संख्या 327/1
4	क्षेत्रफल	306.66 वर्गगज
5	भूखण्ड की गहराई	18.28 मीटर
6	स्वीकृत भू–उपयोग	आवासीय
7	चाहा गया भू–उपयोग	सामान्य व्यवसायिक
8	मास्टर/जोनल प्लान के अनुसार भू–उपयोग	मिश्रित (जोनल प्लान जोन–10 के अनुसार)
9	सड़क की चौड़ाई	36 मीटर (120 फीट)
10	विज्ञप्ति प्रकाशन	आवेदक द्वारा 2 राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 04.03.2022 को विज्ञप्ति प्रकाशन करवाई गयी तथा पत्रावली अनुसार निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।
11	स्वामित्व रिपोर्ट	प्राधिकरण द्वारा आवासीय पट्टा क्रमांक 4897 दिनांक 07.06.2003 को जारी है तथा

F:\E\Deepak devnani\LP 2021-22\land use change\2022\CILU-4\Agenda CILU 04-2022 nirnay.doc

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

		आवेदक के पक्ष में नामान्तरण आदेश क्रमांक 299 दिनांक 21.05.2018 को जारी है।
12	मौका रिपोर्ट	मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड पर पुराना मकान निर्मित है।
13	विधि शाखा की रिपोर्ट	विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड पर कोई वाद लम्बित नहीं है।
अन्य विचारनीय बिन्दु		1. मास्टर/जोनल प्लान के प्रावधान अनुसार मिश्रित भू–उपयोग में आवासीय, व्यवसायिक, संस्थागत आदि गतिविधियां अनुज्ञेय की गयी हैं। 2. प्रार्थी द्वारा भवन निर्माण के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत कर अनाधिकृत निर्माण हटा लेने एवं प्राधिकरण द्वारा भवन मानचित्र स्वीकृत करवाए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

निर्णय :– समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का आवासीय से सामान्य व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन निम्नलिखित शर्तों पर अनुज्ञेय किया गया :

1. **प्रश्नगत भूमि के सामने स्थित सड़क के मार्गाधिकार हेतु सड़क के मध्य से 18 मीटर (60 फीट) भूमि सड़क हेतु छोड़ते हुए शेष भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन अनुमत किया जावेगा।**
2. **यह केवल मात्र आवेदित भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति है, इस स्वीकृति को आवेदित भूमि के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जावेगा।**
3. **प्रश्नगत भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण से पूर्व भवन विनियम 2020 अजमेर रीजन में निर्धारित मानदण्डों अनुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।**
4. **प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अनाधिकृत निर्माण हटा लिया जायेगा। उक्त अनाधिकृत निर्माण हटाये जाने की शर्त पर यह अनुमति दी जाती है।**

एजेण्डा संख्या : 12

1	आवेदक का नाम व पता	**श्री पुनीत वालिया पुत्र श्री विरेन्द्र कुमार वालिया एवं श्रीमती नेहा वालिया पत्नी श्री पुनीत वालिया**

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

2	राजस्व ग्राम / योजना	पंचशील नगर योजना
3	खसरा / भूखण्ड संख्या	भूखण्ड संख्या बी–499
4	क्षेत्रफल	324 वर्गमीटर
5	भूखण्ड की गहराई	27 मीटर
6	स्वीकृत भू–उपयोग	आवासीय
7	चाहा गया भू–उपयोग	सामान्य व्यवसायिक
8	मास्टर / जोनल प्लान के अनुसार भू–उपयोग	मिश्रित (जोनल प्लान जोन–2 के अनुसार)
9	सड़क की चौड़ाई	30 मीटर (100 फीट)
10	विज्ञप्ति प्रकाशन	आवेदक द्वारा 2 राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 25.12.2021 को विज्ञप्ति प्रकाशन करवाई गयी तथा पत्रावली अनुसार निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।
11	स्वामित्व रिपोर्ट	प्राधिकरण द्वारा आवासीय पट्टा क्रमांक 2634 दिनांक 07.12.1997 को जारी है तथा आवेदक के पक्ष में नामान्तरण आदेश क्रमांक 1681 दिनांक 04.01.2017 को जारी है।
12	मौका रिपोर्ट	मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड में भवन निर्मित है।
13	विधि शाखा की रिपोर्ट	विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड संख्या बी–499 के संबंध में न्यायालय सिविल न्यायाधीश अजमेर नगर (उत्तर) अजमेर द्वारा दीवानी प्रकरण संख्या 98 / 19 उन्वान पुनीत वालिया व अन्य V/S राज्य सरकार व अन्य में दिनांक 23.09.2021 को अस्थायी निविदाता स्वीकार कर आदेश दिया गया की प्रार्थीगण व फैसला भूमि वाद प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त सम्पति पर किसी प्रकार की तोडफोड एवं सीप आदि की कार्यवाही अमल में नहीं लायें, साथ ही प्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि वे शेष सैटबैक छोड़े बिना निर्माण कार्य नहीं करें तथा वर्तमान में वाद विचाराधीन हैं।
अन्य विचारनीय बिन्दु		1. मास्टर / जोनल प्लान के प्रावधान अनुसार मिश्रित भू–उपयोग में आवासीय, व्यवसायिक, संस्थागत आदि गतिविधियां

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

	अनुज्ञेय की गयी हैं। 2. प्रकरण को प्राधिकरण की भू–उपयोग परिवर्तन समिति की 03/2022 वीं बैठक दिनांक 11.02.2022 के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें समिति द्वारा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जा कर प्रकरण में माननीय न्यायालय में वाद के परिपेक्ष में सम्पूर्ण जाँच कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। 3. उक्त निर्णय की पालना में आवेदक द्वारा शपथ प्रत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि अविप्रा द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन आदेश व डिमांड नोटिस जारी होगा उससे पूर्व आवेदक स्वय्म के खर्चे पर उक्त न्यायालय में विचाराधीन दीवानी प्रकरण को विड्रो करवाते हुए नियमानुसार वाद वापिस ले लेंगे एवं न्यायालय के विड्रो आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

निर्णय :– समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का आवासीय से सामान्य व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन निम्नलिखित शर्तो पर अनुज्ञेय किया गया :

1. **प्रश्नगत भूमि के सामने स्थित सड़क के मार्गाधिकार हेतु सड़क के मध्य से 15 मीटर (50 फीट) भूमि सड़क हेतु छोड़ते हुए शेष भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन अनुमत किया जावेगा।**
2. **यह केवल मात्र आवेदित भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति है, इस स्वीकृति को आवेदित भूमि के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जावेगा।**
3. **प्रश्नगत भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण से पूर्व भवन विनियम 2020 अजमेर रीजन में निर्धारित मानदण्डों अनुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।**
4. **प्रकरण में भू–उपयोग परिवर्तन हेतु मांग पत्र जारी किये जाने से पूर्व आवेदक द्वारा न्यायालय में विचाराधीन दीवानी प्रकरण को वापिस लिया जाये एवं इसकी जाँच विधि शाखा द्वारा करायी जा कर ही मांग पत्र एवं भू–उपयोग परिवर्तन आदेश जारी किया जावे।**

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

5. प्रार्थी द्वारा न्यायालय में विचाराधीन दीवानी प्रकरण को वापिस लिया जाने के पश्चात् शपथ पत्र अनुसार अनाधिकृत निर्माण हटाये जाने की शर्त पर यह अनुमति दी जाती है।

एजेण्डा संख्या : 13

1	आवेदक का नाम	**श्री रनबीर सिंह खुराना पुत्र श्री सरदार महेन्द्र सिंह**
2	राजस्व ग्राम/योजना	पंचशील नगर
3	खसरा/भूखण्ड संख्या	भूखण्ड संख्या सी–2
4	क्षेत्रफल	324.00 वर्गमीटर
5	भूखण्ड की गहराई	27.00 मीटर
6	स्वीकृत भू–उपयोग	आवासीय
7	चाहा गया भू–उपयोग	सामान्य व्यावसायिक
8	मास्टर/जोनल प्लान के अनुसार भू–उपयोग	मिश्रित (जोनल प्लान जोन–2 के अनुसार)
9	सड़क की चौड़ाई	30 मीटर (100 फीट)
10	विज्ञप्ति प्रकाशन	आवेदक द्वारा 2 राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 04.03.2022 को विज्ञप्ति प्रकाशन करवाई गयी तथा पत्रावली अनुसार प्रकरण में निम्न आपत्तियाँ प्राप्त हुई हैं:– 1. श्री फरहान खान पुत्र श्री मुख्त्यार अहमद खान की आपत्ति दिनांक 16.03.2022। 2. श्री अंचित परिहार की आपत्ति दिनांक 14.03.2022।
11	स्वामित्व रिपोर्ट	प्राधिकरण द्वारा आवासीय पट्टा क्रमांक 13790 दिनांक 07.04.2010 को जारी है।
12	मौका रिपोर्ट	मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड रिक्त है।
13	विधि शाखा की रिपोर्ट	विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड पर कोई वाद लम्बित नहीं है।
अन्य विचारनीय बिन्दु		1. मास्टर/जोनल प्लान के प्रावधान अनुसार मिश्रित भू–उपयोग में आवासीय, व्यवसायिक, संस्थागत आदि गतिविधियां अनुज्ञेय की गयी हैं। 2. मौके पर भूखण्ड रिक्त है अतः नियमानुसार देय शुल्क लिया जाना

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

	प्रस्तावित है। 3. प्रकरण में प्राप्त आपत्तियों का निदेशक आयोजना एवं विधि शाखा द्वारा जाँच की गयी। 3.1 प्रथम आपत्ति : आपत्तिकर्ता श्री फरहान खान द्वारा आपत्ति दर्ज कराई है कि आवेदित भूखण्ड का पट्रोल पम्प हेतु भू–उपयोग परिवर्तन ना किया जावे। प्रस्तावित निर्णयः प्रकरण में आवेदित भूखण्ड का आवासीय से सामान्य व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भूउपयोग परिवर्तन प्रस्तावित है अतः आपत्ति को खारिज किया जाना उचित होगा। 3.2 द्वितीय आपत्तिः आपत्तिकर्ता अंचित परिहार द्वारा आपत्ति दर्ज कराई है कि आवेदित भूखण्ड का भू–उपयोग परिवर्तन आवासीय कॉलोनी में किया जा रहा है तथा जनहित में भू–उपयोग परिवर्तन नही किया जाना चाहिये। प्रस्तावित निर्णयः प्रश्नगत भूखण्ड जोनल प्लान (जोन–2) के अनुसार मिश्रित भू–उपयोग हेतु आरक्षित है एवं मास्टर/जोनल प्लान के प्रावधान अनुसार मिश्रित भू–उपयोग में आवासीय, व्यवसायिक, संस्थागत आदि गतिविधियां अनुज्ञेय की गयी हैं। साथ ही माननीय न्यायालय व राज्य सरकार के विभिन्न आदेशो के अनुसार भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने पर भी आपत्ति दर्ज की गई है जिसमें निदेशक आयोजना एवं निदेशक विधि द्वारा प्राप्त रिपार्ट अनुसार सारहीन होना पाया गया। अतः आपत्ति को खारिज किया जाना उचित होगा।

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर

निर्णय :– समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का आवासीय से सामान्य व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन निम्नलिखित शर्तों पर अनुज्ञेय किया गया :

1. प्रश्नगत भूमि के सामने स्थित सड़क के मार्गाधिकार हेतु सड़क के मध्य से 15 मीटर (50 फीट) भूमि सड़क हेतु छोड़ते हुए शेष भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन अनुमत किया जावेगा।
2. यह केवल मात्र आवेदित भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति है, इस स्वीकृति को आवेदित भूमि के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जावेगा।
3. प्रश्नगत भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण से पूर्व भवन विनियम 2020 अजमेर रीजन में निर्धारित मानदण्डों अनुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
4. समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त आपत्तियों पर चर्चा उपरान्त अपरिपोषणीय होने की स्थिति में आपत्तियों को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या : 14

1	आवेदक का नाम	**श्री प्रीतम कुमार सीरनानी पुत्र स्व. श्री नारायण दास सीरनानी**
2	राजस्व ग्राम/योजना	हरिभाऊ उपाध्याय नगर मुख्य
3	खसरा/भूखण्ड संख्या	भूखण्ड संख्या ए–183
4	क्षेत्रफल	324.00 वर्गमीटर
5	भूखण्ड की गहराई	27.00 मीटर
6	स्वीकृत भू–उपयोग	आवासीय
7	चाहा गया भू–उपयोग	सामान्य व्यावसायिक
8	मास्टर/जोनल प्लान के अनुसार भू–उपयोग	मिश्रित (जोनल प्लान जोन–1 के अनुसार)
9	सड़क की चौड़ाई	36 मीटर (120 फीट)
10	विज्ञप्ति प्रकाशन	आवेदक द्वारा 2 राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 30.01.2022 को विज्ञप्ति प्रकाशन करवाई गयी तथा पत्रावली अनुसार निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।
11	स्वामित्व रिपोर्ट	प्राधिकरण द्वारा आवासीय पट्टा क्रमांक 13570 दिनांक 13.11.2009 को जारी है तथा आवेदक के पक्ष में नामान्तरण आदेश क्रमांक 1236 दिनांक 15.02.2019 को जारी है।

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

12	मौका रिपोर्ट	मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड रिक्त है।
13	विधि शाखा की रिपोर्ट	विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड पर कोई वाद लम्बित नहीं है।
अन्य विचारनीय बिन्दु		1. मास्टर/जोनल प्लान के प्रावधान अनुसार मिश्रित भू–उपयोग में आवासीय, व्यवसायिक, संस्थागत आदि गतिविधियां अनुज्ञेय की गयी हैं। 2. मौके पर भूखण्ड रिक्त है अतः नियमानुसार देय शुल्क लिया जाना प्रस्तावित है।

निर्णय :– समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का आवासीय से सामान्य व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन निम्नलिखित शर्तों पर अनुज्ञेय किया गया :

1. **प्रश्नगत भूमि के सामने स्थित सड़क के मार्गाधिकार हेतु सड़क के मध्य से 18 मीटर (60 फीट) भूमि सड़क हेतु छोड़ते हुए शेष भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन अनुमत किया जावेगा।**
2. **यह केवल मात्र आवेदित भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति है, इस स्वीकृति को आवेदित भूमि के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जावेगा।**
3. **प्रश्नगत भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण से पूर्व भवन विनियम 2020 अजमेर रीजन में निर्धारित मानदण्डों अनुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।**

एजेण्डा संख्या : 15

1	आवेदक का नाम	**श्री प्रकाश आडवानी पुत्र श्री होतचन्द आडवानी**
2	राजस्व ग्राम/योजना	पंचशील नगर
3	खसरा/भूखण्ड संख्या	भूखण्ड संख्या ए–135
4	क्षेत्रफल	484.55 वर्गगज
5	भूखण्ड की गहराई	27.00 मीटर
6	स्वीकृत भू–उपयोग	आवासीय
7	चाहा गया भू–उपयोग	सामान्य व्यावसायिक
8	मास्टर/जोनल प्लान के अनुसार भू–उपयोग	मिश्रित (जोनल प्लान जोन–2 के अनुसार)
9	सड़क की चौड़ाई	30 मीटर (100 फीट)

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

10	विज्ञप्ति प्रकाशन	आवेदक द्वारा 2 राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 15.02.2022 को विज्ञप्ति प्रकाशन करवाई गयी तथा पत्रावली अनुसार निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।
11	स्वामित्व रिपोर्ट	प्राधिकरण द्वारा आवासीय पट्टा क्रमांक 14015 दिनांक 01.10.2010 को जारी है तथा आवेदक के पक्ष में नामान्तरण आदेश क्रमांक 4253 दिनांक 03.02.2011 को जारी है।
12	मौका रिपोर्ट	मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड रिक्त है।
13	विधि शाखा की रिपोर्ट	विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड पर कोई वाद लम्बित नहीं है।
अन्य विचारनीय बिन्दु		1. मास्टर/जोनल प्लान के प्रावधान अनुसार मिश्रित भू–उपयोग में आवासीय, व्यवसायिक, संस्थागत आदि गतिविधियां अनुज्ञेय की गयी हैं। 2. मौके पर भूखण्ड रिक्त है अतः नियमानुसार देय शुल्क लिया जाना प्रस्तावित है।

निर्णय :– समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का आवासीय से सामान्य व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन निम्नलिखित शर्तों पर अनुज्ञेय किया गया :

1. प्रश्नगत भूमि के सामने स्थित सड़क के मार्गाधिकार हेतु सड़क के मध्य से 15 मीटर (50 फीट) भूमि सड़क हेतु छोड़ते हुए शेष भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन अनुमत किया जावेगा।
2. यह केवल मात्र आवेदित भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति है, इस स्वीकृति को आवेदित भूमि के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जावेगा।
3. प्रश्नगत भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण से पूर्व भवन विनियम 2020 अजमेर रीजन में निर्धारित मानदण्डों अनुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।

एजेण्डा संख्या : 16

1	आवेदक का नाम	श्री अमित कुमार गुप्ता पुत्र श्री कैलाश चन्द एवं श्री जय प्रकाश दग्दी पुत्र श्री मंगल चन्द
2	राजस्व ग्राम/योजना	माकड़वाली

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

3	खसरा/भूखण्ड संख्या	खसरा संख्या 441 मिन. (पुराना) 3043, 3046, 3047 (नया) भूखण्ड संख्या 50, 51, 52, 53
4	क्षेत्रफल	595 वर्गगज
5	भूखण्ड की गहराई	27.20 मीटर
6	स्वीकृत भू–उपयोग	—
7	चाहा गया भू–उपयोग	सामान्य व्यावसायिक
8	मास्टर/जोनल प्लान के अनुसार भू–उपयोग	मिश्रित (जोनल प्लान जोन–2 के अनुसार)
9	सड़क की चौड़ाई	36 मीटर (120 फीट)
10	विज्ञप्ति प्रकाशन	आवेदक द्वारा 2 राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 01.03.2022 को विज्ञप्ति प्रकाशन करवाई गयी तथा पत्रावली अनुसार निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।
11	स्वामित्व रिपोर्ट	पत्रावली पर संलग्न विक्रय पत्र अनुसार प्रश्नगत भूमि आवेदक श्री अमित कुमार गुप्ता व श्री जय प्रकाश दग्दी को विक्रय किया गया।
12	मौका रिपोर्ट	मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड रिक्त है।
13	विधि शाखा की रिपोर्ट	विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड पर कोई वाद लम्बित नहीं है।
अन्य विचारनीय बिन्दु		1. मास्टर/जोनल प्लान के प्रावधान अनुसार मिश्रित भू–उपयोग में आवासीय, व्यवसायिक, संस्थागत आदि गतिविधियां अनुज्ञेय की गयी हैं। 2. मौके पर भूखण्ड रिक्त है अतः नियमानुसार देय शुल्क लिया जाना प्रस्तावित है। 3. आवेदित भूखण्ड संख्या 50, 51, 52, 53 के संयुक्तिकरण किये जाने की शर्त पर भू–उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित होगा।

निर्णय :– समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा प्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी नहीं होने से प्रकरण में भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही किया जाना उचित नहीं होगा।

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

एजेण्डा संख्या : 17

1	आवेदक का नाम	श्रीमती कविता तोलवानी पत्नी श्री हेमन्त कुमार तोलवानी व श्रीमती धनवंती पत्नी श्री किशन चन्द तोलवानी व श्रीमती सुमन पत्नी श्री राजकुमार तोलवानी
2	राजस्व ग्राम/योजना	चौरसियावास
3	खसरा/भूखण्ड संख्या	खसरा संख्या 1734 का भाग
4	क्षेत्रफल	597.90 वर्गगज
5	भूखण्ड की गहराई	38.71 मीटर
6	स्वीकृत भू–उपयोग	आवासीय
7	चाहा गया भू–उपयोग	सामान्य व्यावसायिक
8	मास्टर/जोनल प्लान के अनुसार भू–उपयोग	मिश्रित (जोनल प्लान जोन–2 के अनुसार)
9	सड़क की चौड़ाई	30 मीटर (100 फीट)
10	विज्ञप्ति प्रकाशन	आवेदक द्वारा 2 राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 05.02.2022 को विज्ञप्ति प्रकाशन करवाई गयी तथा पत्रावली अनुसार निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।
11	स्वामित्व रिपोर्ट	प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड क्षेत्रफल 378.88 का आवासीय पट्टा क्रमांक 470 दिनांक 07.02.2001 को जारी है तथा भूखण्ड क्षेत्रफल 219.02 का आवासीय पट्टा क्रमांक 1246 दिनांक 03.12.2001 को जारी है। आवेदक के पक्ष में नामान्तरण आदेश क्रमांक 1179 दिनांक 23.07.2009 को जारी है। उक्त भूखण्डों का संयुक्तिकरण कर कुल क्षेत्रफल 597.90 वर्गगज दिनांक 30.10.2013 को स्वीकृत किया गया।
12	मौका रिपोर्ट	मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड रिक्त है।
13	विधि शाखा की रिपोर्ट	विधि शाखा की रिपोर्ट पत्रावली के पैरा 12/एन पर अवलोकनीय हैं।
अन्य विचारनीय बिन्दु		1. मास्टर/जोनल प्लान के प्रावधान अनुसार मिश्रित भू–उपयोग में आवासीय, व्यवसायिक, संस्थागत आदि गतिविधियां अनुज्ञेय की गयी हैं। 2. मौके पर भूखण्ड रिक्त है अतः

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

	नियमानुसार देय शुल्क लिया जाना प्रस्तावित है।

निर्णय :— समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि विधि शाखा द्वारा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड संख्या 6 पर स्थगन आदेश प्रभावी है एवं उक्त प्रकरण में भूखण्ड संख्या का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने से यह स्पष्ट नही होता है कि आवेदित भूखण्ड स्थगन से प्रभावित है अथवा नही। अतः भू–अभिलेख शाखा एवं संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा सम्पूर्ण जांच उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या : 18

1	आवेदक का नाम	**श्री रामनिवास सारण पुत्र श्री मंगाराम सारण**
2	राजस्व ग्राम / योजना	हरिभाऊ उपाध्याय नगर विस्तार
3	खसरा / भूखण्ड संख्या	भूखण्ड संख्या 160
4	क्षेत्रफल	534.35 वर्गगज
5	भूखण्ड की गहराई	16.76 मीटर
6	स्वीकृत भू–उपयोग	आवासीय
7	चाहा गया भू–उपयोग	हॉस्पिटल
8	मास्टर / जोनल प्लान के अनुसार भू–उपयोग	हॉस्पिटल (जोनल प्लान जोन–1 के अनुसार)
9	सड़क की चौड़ाई	30 मीटर (100 फीट)
10	विज्ञप्ति प्रकाशन	आवेदक द्वारा 2 राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 15.02.2022 को विज्ञप्ति प्रकाशन करवाई गयी तथा पत्रावली अनुसार निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।
11	स्वामित्व रिपोर्ट	प्राधिकरण द्वारा आवासीय पट्टा क्रमांक 17947 दिनांक 18.01.2018 को जारी है
12	मौका रिपोर्ट	मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड पर हॉस्पिटल निर्मित है।
13	विधि शाखा की रिपोर्ट	विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड पर कोई वाद लम्बित नहीं है।
अन्य विचारनीय बिन्दु		1. मास्टर / जोनल प्लान के प्रावधान अनुसार मिश्रित भू–उपयोग में आवासीय, व्यवसायिक, संस्थागत आदि गतिविधियां अनुज्ञेय की गयी हैं।

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

	2. प्रार्थी द्वारा भवन निर्माण के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत कर अनाधिकृत निर्माण हटा लेने एवं प्राधिकरण द्वारा भवन मानचित्र स्वीकृत करवाए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

निर्णय :– समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का आवासीय से हॉस्पिटल प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन निम्नलिखित शर्तों पर अनुज्ञेय किया गया :

1. प्रश्नगत भूमि के सामने स्थित सड़क के मार्गाधिकार हेतु सड़क के मध्य से 15 मीटर (50 फीट) भूमि सड़क हेतु छोड़ते हुए शेष भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन अनुमत किया जावेगा।
2. यह केवल मात्र आवेदित भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति है, इस स्वीकृति को आवेदित भूमि के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जावेगा।
3. प्रश्नगत भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण से पूर्व भवन विनियम 2020 अजमेर रीजन में निर्धारित मानदण्डों अनुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
4. प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अनाधिकृत निर्माण हटा लिया जायेगा। उक्त अनाधिकृत निर्माण हटाये जाने की शर्त पर यह अनुमति दी जाती है।

एजेण्डा संख्या : 19

1	आवेदक का नाम	**श्री कमरुद्दीन पुत्र श्री शरीफशाह**
2	राजस्व ग्राम / योजना	चौरसियावास
3	खसरा / भूखण्ड संख्या	खसरा संख्या 1638
4	क्षेत्रफल	628.88 वर्गगज
5	भूखण्ड की गहराई	43.28 मीटर
6	स्वीकृत भू–उपयोग	आवासीय
7	चाहा गया भू–उपयोग	सामान्य व्यावसायिक
8	मास्टर / जोनल प्लान के अनुसार भू–उपयोग	मिश्रित (जोनल प्लान जोन–2 के अनुसार)
9	सड़क की चौड़ाई	30 मीटर (100 फीट)
10	विज्ञप्ति प्रकाशन	आवेदक द्वारा 2 राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 26.02.2022 को विज्ञप्ति प्रकाशन करवाई गयी तथा पत्रावली अनुसार

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर

		निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।
11	स्वामित्व रिपोर्ट	प्राधिकरण द्वारा आवासीय पट्टा क्रमांक 1083 दिनांक 24.04.2001 को जारी है
12	मौका रिपोर्ट	मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड पर सामने की तरफ व्यावसायिक दुकानें निर्मित एवं शेष भूखण्ड रिक्त है।
13	विधि शाखा की रिपोर्ट	विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड पर कोई वाद लम्बित नहीं है।
अन्य विचारनीय बिन्दु		1. मास्टर/जोनल प्लान के प्रावधान अनुसार मिश्रित भू–उपयोग में आवासीय, व्यवसायिक, संस्थागत आदि गतिविधियां अनुज्ञेय की गयी हैं। 2. प्रार्थी द्वारा भवन निर्माण के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत कर अनाधिकृत निर्माण हटा लेने एवं प्राधिकरण द्वारा भवन मानचित्र स्वीकृत करवाए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

निर्णय :– समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाकर आवेदित भूखण्ड का आवासीय से सामान्य व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन निम्नलिखित शर्तों पर अनुज्ञेय किया गया :

1. प्रश्नगत भूमि के सामने स्थित सड़क के मार्गाधिकार हेतु सड़क के मध्य से 15 मीटर (50 फीट) भूमि सड़क हेतु छोड़ते हुए शेष भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन अनुमत किया जावेगा।
2. यह केवल मात्र आवेदित भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति है, इस स्वीकृति को आवेदित भूमि के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जावेगा।
3. प्रश्नगत भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण से पूर्व भवन विनियम 2020 अजमेर रीजन में निर्धारित मानदण्डों अनुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
4. प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अनाधिकृत निर्माण हटा लिया जायेगा। उक्त अनाधिकृत निर्माण हटाये जाने की शर्त पर यह अनुमति दी जाती है।

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

F:\E\Deepak devnani\LP 2021-22\land use change\2022\CILU-4\Agenda CILU 04-2022 nirnay.doc

अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर

अन्त में समिति द्वारा प्रत्येक प्रकरण में यह भी आदेश प्रदान किये :—

1. प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं से सम्बन्धित भू—उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों में खसरा संख्या की रिपोर्ट ली जाकर विधि शाखा द्वारा आवेदित खसरा के संबंध में वाद विवाद की रिपोर्ट प्राप्त की जाकर ही अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

2. उक्त समस्त प्रकरणों में आवेदित भूखण्ड के सम्बन्ध में सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा नियमानुसार अवधि विस्तार व अन्य देय शुल्क लिया जाकर भू—उपयोग परिवर्तन आदेश जारी किया जावे।

यह बैठक कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित की गयी।

07/04/2022

(पी.आर बेनीवाल)
निदेशक (आयोजना)
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

o/c

क्रमांक : अ.वि.प्रा./प.3/नि.शा/2022/ 1512-1524 दिनांक : 7-4-2022

प्रतिलिपि :—

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, आयुक्त महोदय, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
3. सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
4. उपायुक्त (उत्तर/दक्षिण/किशनगढ़/पुष्कर) अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
5. निदेशक विधि, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
6. रक्षित पत्रावली।

07/04/2022

(पी.आर बेनीवाल)
निदेशक (आयोजना)
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

o/c

F:\E\Deepak devnani\LP 2021-22\land use change\2022\CILU-4\Agenda CILU 04-2022 nirnay.doc